

पत्रांक-२१० / सि०वि०वि० / सम्बद्धता / २०२३

दिनांक-२०/०५/२०२३

प्रेषक

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
वासुदेव सिंह महाविद्यालय,
सुविखा, गिलौला, श्रावस्ती।

विषय- स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान एवं भूगोल तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित एवं स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम० पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय में प्राचार्य एवं शिक्षक अनुमोदन (कार्यभार, नियुक्ति, संविदा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं स्टेटमेंट), प्रबन्ध समिति, विगत तीन वर्षों का ६० प्रतिशत परीक्षाफल एवं नकल विहिन, ५००० का शपथ-पत्र की पूर्ति करा लिये जाने के कारण सत्र २०२३-२४ अर्थात् ०१.०७.२०२३ से स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति प्रदान कर दिया जाय, तथा महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर शासन द्वारा जारी सम्बद्धता सम्बन्धी मानकों का अनुपालन किया जायेगा अन्यथा ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम २०१४) की धारा ३७(२) के अधीन वासुदेव सिंह महाविद्यालय, सुविखा, गिलौला, श्रावस्ती को महाविद्यालय में संचालित स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान एवं भूगोल तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित एवं स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम० पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र २०२३-२४ अर्थात् दिनांक-०१.०७.२०२३ से निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

- १ महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में छात्रों का लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा।
- २ महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- ३ संस्था शासनादेश सं० २८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक ०२ जुलाई, २००३ एवं ४१०८/सत्तर-२-२००७-२(४९४)/२००७ दिनांक १७.१०.२००७ तथा २११२/सत्तर-२-२००८-२(४९४)/२००७ दिनांक ०९ मई, २००८ में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देश एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- ४ रिट याचिका सं० ६१५८९/२०१२ में पारित आदेश दिनांक २०.१२.२०१२ के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं० ५२२/सत्तर-२-२०१३-२(६५०)/२०१२ दिनांक ३० अप्रैल, २०१३ का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित करेगा।
- ५ कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलपति को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
- ६ यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित किया जायेगा-तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- ७ संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा मूल अधिनियम १९७३ की धारा ३७(२) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले वर्ष सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- ८ संस्था का संचालन व्यवसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
- ९ संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- १० संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
- ११ संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
- १२ संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- १३ महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है। कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

५

कुलसचिव

पत्रांक -तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १ प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-६, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २ निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र०, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
- ३ अधिष्ठाता, कला/वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य, सि०वि०वि०, सिद्धार्थनगर।
- ४ कुलसचिव कार्यालय।
- ५ सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
- ६ सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव